# न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
## पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

**प्रकरण संख्या** – 123 / 2020 अपील (GCMS 2020/00128)
**पंजीयन दिनांक**– 24 / 01 / 2020
**निर्णय दिनांक**– 26 / 03 / 2024

1. श्री मांगीलाल पिता ऊँकार सालवी, निवासी सालेराकला, तहसील मावली, जिला उदयपुर हाल निवासी मकान नम्बर 12, ई–ब्लॉक, आदर्श नगर, युनिवर्सिटी रोड़, उदयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर।
2. श्री प्रकाश पिता स्व. जमनालाल सालवी, निवासी सालेराकला, तहसील मावली, जिला उदयपुर हाल निवासी मकान नम्बर 20 गुलमोहर चौक, धोलीबावड़ी, उदयपुर।
3. श्री गोपाल पिता स्व. जमनालाल सालवी, निवासी सालेराकला, तहसील मावली, जिला उदयपुर हाल निवासी मकान नम्बर 20 गुलमोहर चौक, धोलीबावड़ी, उदयपुर।
4. सुश्री सारिका पिता स्व. जमनालाल सालवी, निवासी सालेराकला, तहसील मावली, जिला उदयपुर हाल निवासी मकान नम्बर 20 गुलमोहर चौक, धोलीबावड़ी, उदयपुर।
5. श्रीमती गीता देवी पत्नि स्व. जमनालाल सालवी, निवासी सालेराकला, तहसील मावली, जिला उदयपुर हाल निवासी मकान नम्बर 20 गुलमोहर चौक, धोलीबावड़ी, उदयपुर।
6. श्री रामचन्द्र उर्फ किशन पुत्र स्व. परसाराम सालवी, निवासी सालेराकला, तहसील मावली, जिला उदयपुर हाल निवासी सुखदेवी नगर, बेदला, उदयपुर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

| | |
|---|---|
| 1. श्री नरेन्द्र आमेटा | अधिवक्ता अपीलांट |
| 2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक | अधिवक्ता रेस्पोडेंट सख्यां 1 |
| 3. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा | अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 6 |

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 05/2019 अपील (राजस्व) निर्णय दिनांक 16.12.2019

## निर्णय

दिनांक 26/03/2024

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 05/2019 निर्णय दिनांक 16.12.2019 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार, मावली के नामान्तरकरण संख्या 220 आदेश दिनांक 14.01.1983 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट के परदादा मोती के चार संताने क्रमशः लाला, दीपा, गांगा, नवला होकर गांगा व नवला लाऔलाद फौत हुए। लाला के भेरा हुआ, जो भी लाऔलाद फौत हुआ। उंकार के अपीलांट एवं जमनालाल हुए। जमनालाल के फौत होने से उसके वारीस विपक्षी संख्या 2 से 5 हैं। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उक्त परिवार में उत्तराधिकारी केवल मात्र अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 ही जीवित हैं तथा सम्पूर्ण परिवार के किसी भी सदस्य की समस्त चल अचल सम्पत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। भेरा पिता लाला की मृत्यु के पश्चात् उनके खातेदारी आराजी संख्या 1189 व 1190 किता 2 रकबा 6 बिघा भूमि ग्राम सालेराकला, तहसील मावली में स्थित थी जिसके मात्र उत्तराधिकारी हम ही थे। परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधीनस्थ कर्मचारीयों द्वारा मिलीभगत करते हुए अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 के पिता उंकार जी को अधिकार से वंचित करने के लिये एवं कानुनी पेचीदगियों में

फसाने के उद्धेश्य से उक्त कृषि आराजीयात में से स्वर्गीय उंकार के नाम नामान्तरकरण ना कर किसी काल्पनिक नाम किशन पिता परसीया के नाम कर दिया गया। जिससे कि भविष्य में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 के पिता व दादा उंकार को परेशानी का सामना करना पड़े। अपीलांट को राजस्व रेकार्ड के बारे में अधिक जानकारी नहीं होने के कारण उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात में काबिज होने के चलते कभी राजस्व रेकार्ड की गहन जानकारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन गॉव में भू–माफियाओं द्वारा धमकी दिये जाने की अपीलांट की कृषि भूमि किशन पिता परसीया के नाम पर है, जबकि उक्त नाम का व्यक्ति वजुद में नहीं है और भू–माफिया लोग अपीलांट को धमकी दे रहे है कि वे छल पुर्वक किसी किशन पिता परसीया नाम के व्यक्ति को तैयार कर जमीन खुर्दबुर्द कर देंगे एवं अपीलार्थी को उक्त आराजीयात से बेदखल कर देंगे। अतः श्रीमान से निवेदन कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण आदेश दिनांक 14.01.1983 तहसीलदार मावली को निरस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावें तथा नवीन नामान्तरकरण से कृषि आराजीयात अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 के नाम हिस्से अनुसार किये जाने का आदेश फरमावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 05/2019 निर्णय दिनांक 16.12.2019 से अपीलांट की अपील खारिज की जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 16.12.2019 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:– *''प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज पासबुक की छायाप्रति जो कि पटवारी हल्का सालेराकला द्वारा जारी की गई है, जिसमें वादग्रस्त आराजी 1188, 1189, 1190 किता 3 रकबा 10.14 बीघा भूमि दिनांक*

*01.02.1976 को खेमा पिता भोपा सालवी के नाम इन्तकाल नम्बर 152 से दर्ज हुई हैं, जबकि अपीलांट द्वारा अपनी अपील में आराजी संख्या 1189 एवं 1190 का ही उल्लेख किया गया हैं। अपीलीय नामान्तरकरण 220 दिनांक 14.01.1983 जो भेरा पिता लाला बलाई के नाम से किसना पिता परसीया बलाई के नाम हस्तांतरित हुई है जिसके कॉलम संख्या 14 में अंकित किया है कि भेरा को फौत हुए 10 वर्ष हुए है व परसीया को फौत हुए 5 वर्ष हुए है यानिकी भेरा के पुत्र की भी मृत्यु हो चुकी हैं। अपीलांट द्वारा भेरा को लाऔलाद फौत बताया गया हैं, जबकि अपीलीय नामांतरकरण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, नाही अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया हो, जिसके आधार पर अपील में वर्णित तथ्यो को साबित किया जा सके, जबकि उसके द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 को वारीसान बताया गया है, उनके द्वारा भी अपने धारा 5 के जवाब में अपीलांट के कथनो को अस्वीकार किया गया हैं और जवाब में लिखा है कि अपीलांट ने जमीन हड़पने की नीयत से अपील दर्ज कराने के उद्देश्य से धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं एवं यह भी कथन किया है कि उक्त आराजीयात पर अपीलांट व रेस्पोडेंट का कोई लेनादेना ही नहीं हैं, नाही कोई हक हिस्सा या कब्जा हैं। अपीलार्थी न्यायालय में स्वच्छ हाथों से भी नहीं आया है। क्योंकि रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 द्वारा दिये जवाब में अपीलंट की अपील को अस्वीकार किया है। अपील में अपीलान्ट द्वारा इनका हिस्सा होना बताया गया है। अपीलान्ट द्वारा 36 वर्ष के अतिविलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है जबकि देरी के प्रत्येक दिन व कारण को हुए विलम्ब को स्पष्ट किया जाना आवश्यक होता हैं। अपीलांट ने लम्बे विलम्ब के उचित व पर्याप्त कारण को नहीं दर्शाया हैं। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई सद्भाविक कारण अंकित नहीं किया है, जिसके कारण 36 वर्ष अतिविलम्ब से*

*अपील प्रस्तुत की गई हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज की जाती हैं।"*

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र आमेटा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 27.02.2024 को सुनी गई तथा मजिद बहस दिनांक 26.03.2024 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने भोपा एवं भेरा को एक ही व्यक्ति समझ लिया है, जबकि मामला भेरा के वारिसानों का है, और रेस्पोडेंट संख्या 6 ने अपने आपको भोपा का वारिस बताया है, जबकि वास्तव में भेरा व भोपा अलग–अलग व्यक्ति थे। मामले में रेस्पोडेंट संख्या 6 का पिता परसराम भेरा का पुत्र नही है व खेमा का पुत्र है। रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 के धारा 5 के जवाब एवं रेस्पोडेंट संख्या 6 के आदेश 1 नियम 10 के प्रार्थना पत्र से स्पष्ट हो जाता है कि रामचन्द्र परसराम का पुत्र है और परसराम खेमा का पुत्र है। इसलिए जब किशन एवं परसिया भेरा की संतान नही है तो मयाद के प्रश्न को उठाने का अधिकार उनका नही है। अपीलार्थी ने केवल सरकार के विरूद्ध नामांतरकरण दुरूस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किशन को रामचन्द्र माना जो विधि सम्मत माना इसके लिए रेस्पोडेंट संख्या 6 को दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए थे कि उसके पिता का परसराम परसिया है, जो भेरा का पुत्र है, अतः अपीलांट उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रामचन्द्र को भेरा का पौता किशन मान लिया गया

था, तो अपीलांट द्वारा तत्परता पूर्वक रामचन्द्र के पिता परसराम की उदयपुर विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र की नामावली को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 6 के दादा खेमा का नाम संख्या 730 में दर्ज है। जिसमें उसके पिता का नाम भोपा अंकित किया गया हे। इसके पश्चात् 731 में कंकु का नाम जो खेमा की पत्नि है यानि रामचन्द्र की दादी है एवं 732 में रेस्पोडेंट संख्या 6 रामचन्द्र के पिता परसराम का नाम दर्ज हे। 733 में सोहनी रेस्पोडेंट संख्या 6 के पिता की बहन है का नाम दर्ज हे। इस प्रकार उदयपुर विधानसभा नामावली से स्पष्ट हो जाता है कि परसराम खेमा का पुत्र है भेरा का पुत्र नही है एवं रेस्पोडेंट संख्या 6 कोई अन्य व्यक्ति है, जिसका भेरा से कोई संबंध नहीं है इसलिए रेस्पोडेंट संख्या 6 का अपीलांट की भूमि पर किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRT 2013 (1) Page 473, RRT 2002 (1) Page 649 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ  जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 16.12.2019 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 6 द्वारा अपनी में बताया कि अपीलांट ने मात्र जमीन हड़पने की नियत से अपने ही परिवार के सदस्यो में पक्षकार संख्या 2 से 5 बनाकर तथ्यों को छिपाते हुए अपील प्रस्तुत की हैं। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के सामने स्वच्छ हाथो से नहीं आया हैं। अपीलांट ने 36 वर्ष अतिविलम्ब से अपील प्रस्तुत की हैं। अपील में जो सजरा अपीलांट ने बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था वह

पूर्णतया गलत हैं। रेस्पोडेंट संख्या 6 के नाम नामान्तरकरण उसके पूर्वजो से चला आता हुआ खुला हैं। जिसमें लाला के पश्चात् भेरा, भेरा के पश्चात् परसीया व परसीया से किशन उर्फ रामचन्द्र के नाम से नामान्तरकरण खुला हैं। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थी अपीलांट के पिता उंकार जी एवं परिवार के अन्य सदस्यों को भी हैं। जिससे ही रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 5 ने नामान्तरकरण पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की हैं। मात्र अपीलांट ही जमीन हड़पने की नियत रखते हुए गलत तथ्यों का समावेश कर न्यायालय को गुमराह करने की नियत से 36 वर्ष के विलम्ब के साथ बैरून मियाद अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जो खारीज योग्य होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.12.2019 की अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 03.01.2020 को पेश की गयी है, जो अंदर मयाद पेश की गई है।

- अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाने बाबत मय दस्तावेज प्रस्तुत किय गये। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज राजकीय एवं प्रकरण से संबंधित होने से रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

- रेस्पोडेंट संख्या 6 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि भेरा लाऔलाद फोत हुआ था तथा परसिया पिता खेमा भेरा के गोद गया होने से परसिया भेरा का गोद पुत्र है इस कारण भेरा की संपत्ति की विरासत रेस्पोडेंट संख्या 6 परसिया का पुत्र होने से खोली गई थी, इसलिए भेरा की संपत्ति का मालिक रेस्पोडेंट संख्या 6 बनने से अपीलय

नामांतरकरण सन् 1983 में खोला गया जिसकी जानकारी अपीलांट को प्रारंभ से थी। जिन दस्तावेजात के बारे में अपीलांट कथन कर रहा है वह दस्तावेज इस प्रकरण के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए कतई आवश्यक नहीं है, क्योंकि अपीलांट द्वारा उक्त दस्तावेज इतने वर्षो बाद न्यायालय में प्रस्तुत किये जा रहे है, जबकि इन दस्तावेजों से इस प्रकरण से किसी प्रकार को कोई संबंध नही है। जानबूझकर अपील को लम्बा करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

- प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार, मावली के नामान्तरकरण संख्या 220 आदेश दिनांक 14.01.1983 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट के परदादा मोती के चार संताने क्रमशः लाला, दीपा, गांगा, नवला होकर गांगा व नवला लाऔलाद फौत हुए। लाला के भेरा हुआ, जो भी लाऔलाद फौत हुआ। उंकार के अपीलांट एवं जमनालाल हुए। जमनालाल के फौत होने से उसके वारीस विपक्षी संख्या 2 से 5 हैं। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उक्त परिवार में उत्तराधिकारी केवल मात्र अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 ही जीवित हैं तथा सम्पूर्ण परिवार के किसी भी सदस्य की समस्त चल अचल सम्पत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। भेरा पिता लाला की मृत्यु के पश्चात् उनके खातेदारी आराजी संख्या 1189 व 1190 किता 2 रकबा 6 बिघा भूमि ग्राम सालेराकला, तहसील मावली में स्थित थी जिसके मात्र उत्तराधिकारी हम ही थे। परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधीनस्थ

कर्मचारीयों द्वारा मिलीभगत करते हुए अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 के पिता उंकार जी को अधिकार से वंचित करने के लिये एवं कानुनी पेचीदगियों में फसाने के उद्धेश्य से उक्त कृषि आराजीयात में से स्वर्गीय उंकार के नाम नामान्तरकरण ना कर किसी काल्पनिक नाम किशन पिता परसीया के नाम कर दिया गया। जिससे कि भविष्य में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 के पिता व दादा उंकार को परेशानी का सामना करना पड़े। अपीलांट को राजस्व रेकार्ड के बारे में अधिक जानकारी नहीं होने के कारण उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात में काबिज होने के चलते कभी राजस्व रेकार्ड की गहन जानकारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन गॉव में भू—माफियाओं द्वारा धमकी दिये जाने की अपीलांट की कृषि भूमि किशन पिता परसीया के नाम पर है, जबकि उक्त नाम का व्यक्ति वजुद में नहीं है और भू—माफिया लोग अपीलांट को धमकी दे रहे है कि वे छल पुर्वक किसी किशन पिता परसीया नाम के व्यक्ति को तैयार कर जमीन खुर्दबुर्द कर देंगे एवं अपीलार्थी को उक्त आराजीयात से बेदखल कर देंगे। अतः श्रीमान से निवेदन कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण आदेश दिनांक 14.01.1983 तहसीलदार मावली को निरस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावें तथा नवीन नामान्तरकरण से कृषि आराजीयात अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 के नाम हिस्से अनुसार किये जाने का आदेश फरमावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 05/2019 निर्णय दिनांक 16.12.2019 से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है संलग्न दस्तावेज पासबुक की छायाप्रति जो कि पटवारी हल्का सालेराकला द्वारा जारी की गई है, जिसमें वादग्रस्त आराजी 1188, 1189, 1190 किता 3 रकबा 10.14 बीघा भूमि

दिनांक 01.02.1976 को खेमा पिता भोपा सालवी के नाम इन्तकाल नम्बर 152 से दर्ज हुई हैं।

- अपीलांट द्वारा अपनी अपील में आराजी संख्या 1189 एवं 1190 का ही उल्लेख किया गया हैं। अपीलीय नामान्तरकरण 220 दिनांक 14.01.1983 जो भेरा पिता लाला बलाई के नाम से किसना पिता परसीया बलाई के नाम हस्तान्तरित हुई है जिसके कॉलम संख्या 14 में अंकित किया है कि भेरा को फौत हुए 10 वर्ष हुए है व परसीया को फौत हुए 5 वर्ष हुए है यानि की भेरा के पुत्र की भी मृत्यु हो चुकी हैं। अपीलांट द्वारा भेरा को लाऔलाद फौत बताया गया हैं, जबकि अपीलीय नामान्तरकरण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, नाही अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया हो, जिसके आधार पर अपील में वर्णित तथ्यो को साबित किया जा सके। जबकि उसके द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 को वारीसान बताया गया हैं, उनके द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न अपने धारा 5 के जवाब में अपीलांट के कथनों को अस्वीकार किया गया हैं और जवाब में लिखा है कि अपीलांट ने जमीन हड़पने की नीयत से अपील दर्ज कराने के उद्देश्य से धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं एवं यह भी कथन किया है कि उक्त आराजीयात पर अपीलांट व रेस्पोडेंट का कोई लेनादेना ही नहीं हैं, नाही कोई हक हिस्सा या कब्जा हैं। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में स्वच्छ हाथों से भी नहीं आया था, क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 द्वारा दिये जवाब में अपीलांट की अपील को अस्वीकार किया है।

- अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में 36 वर्ष के अतिविलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी, जबकि देरी के प्रत्येक दिन व कारण को हुए विलम्ब को स्पष्ट किया जाना आवश्यक होता हैं। अपीलांट ने लम्बे विलम्ब के उचित व पर्याप्त कारण को नहीं

दर्शाया गया था। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई सद्भाविक कारण अंकित नहीं किया है।

- उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलांट अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 16.12.2019 यथावत रखा जाता है।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर